International Journal of Applied Research 2016; 2(10): 754-756

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(10): 754-756
www.allresearchjournal.com
Received: 24-08-2016
Accepted: 28-09-2016

डॉ0 समीर कुमार
पी–एच. डी., समाजशास्त्र विभाग, सुन्दरपुर, बेला, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ0 समीर कुमार
पी–एच. डी., समाजशास्त्र विभाग, सुन्दरपुर, बेला, दरभंगा, बिहार, भारत

भारत में मानवाधिकार, संवैधानिक प्रावधान और कानूनः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियम

डॉ0 समीर कुमार

सारांश
मानव अधिकार, वास्तव में, हमारी प्रकृति के लिए मूलभूत हैं और हमारे दैनिक जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के मूल्यों और महत्व को परिभाषित करता है। हम सभी बिना भेदभाव के अपने मानव अधिकारों के लिए समान रूप से हकदार हैं। पत्र भारत में मानव और मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पत्र मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों का विश्लेषण करने का प्रयास है। इस पत्र में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायपालिका और मानवाधिकार आयोग की भूमिका के बारे में भी चर्चा की गई है। मानव अधिकार सभी के लिए है और मानव के विकास के लिए आवश्यक है।

मुख्य–शब्दः मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, न्यायिक सक्रियता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।

प्रस्तावनाः
जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी भी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना, सभी मानव अधिकारों पर निहित मानव अधिकार हैं। बिना भेदभाव के हर कोई इन अधिकारों का हकदार है। मानव अधिकार की सार्वभौमिकता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की आधारशिला है। मनुष्य तर्कसंगत प्राणी है। वे मनुष्य होने के आधार पर कुछ मूल और अयोग्य अधिकारों के अधिकारी हैं जिन्हें मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है। चूँकि ये अधिकार उनके पास मानव होने के कारण उपलब्ध हैं, जैसे कि वे अपने जन्म के समय अस्तित्व में आते हैं। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान मौलिक अधिकारों (भाग –3, अनुच्छेद 14–35) के रूप में ज्ञात अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार उन अधिकारों के समान हैं जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों में प्रदान किए गए अधिकारों के समान हैं। ये अधिकार न्याय की भावना से मुक्त होते हैं।[1]
मानवाधिकार अन्योन्याश्रित 'और परस्पर संबंधित' हैं, इस प्रकार भोजन का अधिकार काम के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार, सामाजिक सेवाओं के अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है। भेदभाव से मुक्ति जैसे कुछ अधिकार क्रॉसकटिंग और अंतरंग रूप से कई अन्य मानव अधिकारों के आनंद से संबंधित हैं। हालांकि, प्राथमिकताओं की, अविभाज्यता 'और मानवाधिकारों की अंतर–संबद्धता मानवाधिकार प्रोग्रामिंग में प्राथमिकताओं की स्थापना को रोकती नहीं है।
जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा 'एकमात्र स्वतंत्रता जो नाम के योग्य है, वह है कि हम अपने तरीके से अपने अच्छे का पीछा करें, इसलिए जब तक हम दूसरों को उनके वंचित करने का प्रयास नहीं करते हैं, या इसे प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को बाधित नहीं करते हैं। प्रत्येक अपने स्वयं के स्वास्थ्य का उचित संरक्षक है, चाहे शारीरिक या मानसिक और आध्यात्मिक। अधिकारों की यह बयानबाजी अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं और मानवाधिकारों पर संधियों द्वारा की गई है। यद्यपि अंग्रेजी कानून अधिकारों, व्यक्तियों के संदर्भ में बात नहीं करता है, चाहे वे रोगी हों, ट्रेड यूनियन या प्रदर्शनकारी हों, अनिवार्य रूप से ऐसी भाषा में वापस आते हैं। मानवाधिकारों की छवि टॉम कैंपबेल की ओर इशारा करती है, 'नैतिक रूप से सम्मोहक और आकर्षक रूप से असम्बद्ध'; व्यावहारिकता, दूसरों के अधिकारों, सार्वजनिक रूप से प्रतिबंध और कम से कम सार्वजनिक राय नहीं है, हालांकि, समझौते की आवश्यकता होती है और प्रत्येक निबंध एक दावे के अधिकार की वास्तविकता या वैधता की पड़ताल करता है। किसी भी अधिकार की तरह, मानव अधिकारों को राजनीतिक संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से हासिल किए जाने वाले सामान्य लक्ष्यों के दृष्टिकोण के संबंध में परिभाषित किया गया है।

इसलिए, उन्हें एक पर्याप्त संस्थागत सेटिंग से स्वतंत्र रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उनका अस्तित्व अदालतों के अस्तित्व से स्वतंत्र नहीं हो सकता है जो राज्यों को जज करने और उनकी संप्रभुता को चुनौती देने के लिए सशक्त हैं – या कम से कम ऐसी अदालतों या इसी तरह के उपकरणों के विचार से। ये मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अदालत के तदर्थ हैं, जिसका अर्थ है, कमजोर व्यक्तियों को बचाने के लिए उस विशेष आम को बढ़ावा देने का एक राजनीतिक एजेंडा। ये अदालत एक सार्वभौमिक और एक लौकिक सत्य के व्याख्याकार नहीं हैं, उसी तरह जैसे कि मानव अधिकार तटस्थ सिद्धांत नहीं हैं। इस तरह के संस्थान तटस्थ क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे एक सामान्य लक्ष्य के रूप में मानवाधिकारों की सामान्य धारणा के संबंध में एक समुदाय की स्थापना करते हैं – एक सामान्य लक्ष्य जो अन्य के साथ संघर्ष में स्वतंत्र राज्यों और ऐतिहासिक मानव समूहों के विशिष्ट लक्ष्य प्रबल होना चाहिए ।

भारत में मानव अधिकार

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने मानव अधिकार के कारण के प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संविधान में अधिकारों की घोषणा शामिल है। भारत ने अपने संविधान में न केवल अधिकारों का एक विस्तृत विधेयक शामिल किया है, बल्कि इन वास्तविकता का अनुवाद करने का प्रयास किया गया है।

स्वतंत्रता के बाद, भारत में मानव अधिकारों पर सबसे महत्वपूर्ण घोषणा 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिए गए संकल्पों के पन्नों में आई। मौलिक अधिकार और उनके बीच भारत के संविधान के निर्देशक सिद्धांतों ने मानव के सार्वभौमिक घोषणा के लगभग पूरे क्षेत्र को कवर किया। अधिकार। संक्षेप में, उद्देश्य संकल्प संविधान के विभिन्न प्रावधानों के समावेश का आधार बनता है।[2]

प्रस्तावना और मानवाधिकार

संविधान की प्रस्तावना सर्वोच्च महत्व की है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए।

मौलिक अधिकार और मानव अधिकार

भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता यह है कि मानवाधिकारों के एक बड़े हिस्से को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया है, और मौलिक अधिकारों को लागू करने के अधिकारों को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं–

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
- शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30)
- संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

अधिकार के लिए कानून

भारत सरकार समय–समय पर मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाती है। अस्पृश्यता समाप्त कर दी जाती है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है।

अस्पृश्यता कानून को और मजबूत बनाने के लिए संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया जो 1 जून 1955 से लागू हुआ।

जीवन का अधिकार (।तजपबसम21) का एक बहुत व्यापक अर्थ है जिसमें मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, प्रदूषण मुक्त वायु का अधिकार शामिल है।

- संविधान 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसरण में लागू किया गया था, जिसमें परिकल्पना की गई थी कि राज्य अपनी नीति को निर्देशित करेगा, अन्य बातों के अलावा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है।[3]
- स्थानीय सरकार में पूर्व राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के लिए 73 वां संवैधानिक संशोधन जो महिलाओं के अधिकारों और समान प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का अच्छा उदाहरण है।[4]

न्यायिक प्रावधान और मानवाधिकार

हमारे देश में न्यायपालिका को सरकार के स्वतंत्र विंग के रूप में जाना जाता है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को रिट (हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यूए वारंटो और सर्टिओरी) जारी कर सकते हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने केसवानंद भारती मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने कहा कि ये संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं और इन्हें संसद द्वारा नहीं बदला जा सकता है।
- न्यायपालिका ने कामकाजी महिलाओं के साथ भेदभाव और इस तरह के भेदभाव के खिलाफ न्याय का लाभ उठाने के बीच संतुलन बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है।
- एयर इंडिया बनाम नर्गेश मिर्जा (एयर होस्टेस केस) के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने उस शर्त को अमान्य कर दिया, जिसने उसकी गर्भावस्था पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी थीं।[5]
- 1997 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसी विशाखा मामले में एक ज़मीनी फैसला सुनाया जिसमें यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना था।
- मेनका गांधी बनाम के मामले में यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया कि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि, अनुच्छेद 21 ने जीवन के अधिकार की गारंटी दी है, न केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ है बल्कि विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी है।

इस प्रकार न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के साथ–साथ अधिकारों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत में मानव अधिकारों के लिए कार्य करना

मानव अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय मुख्य तंत्र हैं। न्यायपालिका के अलावा, ऐसे विशिष्ट निकाय हैं जो अधिकारों के मुद्दों से निपटने के लिए संसद द्वारा बनाए गए हैं।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत का राष्ट्रीय अधिकार आयोग एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन 1993 के मानवाधिकार अध्यादेश के संरक्षण में 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था।

एनएचआरसी के समारोह

मानव अधिकार अधिनियम की सुरक्षा एनएचआरसी को निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य करती हैः

- किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा इस तरह के उल्लंघन की रोकथाम में भारत सरकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन या लापरवाही के संबंध में उचित या प्रतिक्रियात्मक रूप से पूछताछ।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को कम करना और बढ़ावा देना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों की शिक्षा में संलग्न हैं और इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- आयोग ने मानवाधिकारों की चिंताओं को बचाने और बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग किया।
- मानवाधिकार उल्लंघन मामले का प्रयोग करते हुए आयोग, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1988 के तहत मुकदमा चलाने की कोशिश कर रही सिविल कोर्ट की समान शक्तियों का उपयोग करता है।
- आयोग यदि अपनी राय में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस तरह के किसी भी पहलू या मामलों पर किसी भी जानकारी के लिए उपयोगी हो सकता है या इसके मामलों के तहत यह किसी भी व्यक्ति को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित कर सकता है।
- आयोग एक शिकायत में पूछताछ करते हुए निम्नलिखित जांच शक्तियों का प्रयोग करता हैः
- प) यह किसी भी अधिकारी या केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी जांच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग उनकी पूर्व स्वीकृति के साथ कर सकता है।
- पप) ऐसे अधिकारी या एजेंसी आयोग की निगरानी में होंगे।
- पपप) इस तरह के प्रस्ताव या एजेंसी के बयानों की जांच कर सकते हैं और अगर बयानों से असंतुष्ट हो तो जांच कर सकते हैं।
- यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की किसी भी शिकायत पर ऐसी अदालत की अनुमति से अदालत के समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है।
- मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते समय आयोग विभिन्न प्रक्रियाओं को अपना सकता है जैसे सूचना या रिपोर्ट के लिए कॉल करके या तो केंद्र या राज्य सरकार से किसी समय सीमा के भीतर संबंधित या यदि आयोग को लगता है कि मामले की आवश्यकता है तत्काल कार्रवाई, यह उनकी रिपोर्ट के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से पूछे बिना भी जांच शुरू कर सकती है।

एनएचआरसी की सीमा पर सीमाएं

एनएचआरसी के निर्माण से भारत में मानव अधिकारों के पालन में गुणात्मक परिवर्तन आया है। लेकिन एनएचआरसी पर बाधाओं और सीमाओं की संख्या है।

- आयोग की शक्तियाँ प्रकृति में सिफारिश तक सीमित हैं।
- यह मूल रूप से एक खोजी और रिपोर्टिंग निकाय है, जिसे एक सिविल कोर्ट की शक्तियों के साथ माना जाता है।
- इसमें न्यायिक शक्तियों का अभाव है, जहाँ तक अपराधियों को सजा देने से संबंधित है।
- शक्ति की जांच करने वाले आयोगों को इस तथ्य से प्रतिबंधित किया गया है कि यदि कोई राज्य सरकार मानवाधिकारों के उल्लंघन के एक मामले में एक जांच आयोग का गठन करती है, तो आयोग किसी भी जांच को अपने हाथ में नहीं ले सकता है।
- एनएचआरसी मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले की जांच नहीं कर सकता है, जहां तक सशस्त्र बलों का संबंध है।
- छभ्त्ब् की अपनी कोई वित्तीय स्वतंत्रता नहीं है। यह केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भर है।
- फिर भी, सभी संस्थागत और प्रक्रियात्मक सीमाओं के साथ, आयोग ने नई पीढ़ी के मानवाधिकारों के प्रवर्तन के लिए स्थानीय बिंदु का दर्जा हासिल कर लिया है। संक्षेप में, आयोगों की भूमिका हालांकि उनके आवेदन में अनुशंसात्मक हो सकती है, जिसने हजारों लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है, जिन्हें पहले न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।[6]

निष्कर्ष

भारत ने दुनिया भर में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सबसे ईमानदार प्रयास किया है और तीसरी दुनिया में मानव अधिकारों का सबसे बड़ा चैंपियन है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और गैर सरकारी संगठन ने भी भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज, पहले से कहीं अधिक, मानव अधिकारों के प्रवर्तन को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो मानवाधिकारों से वंचित हैं और जब तक कि हम इन अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के तरीकों का विकास नहीं करते हैं, जिन्हें वास्तव में ऐसे अधिकारों की आवश्यकता है, मानवाधिकार केवल एक परीक्षण भ्रम और एक वादा अवास्तविकता बना रहेगा।

संदर्भ

1. नारायण लक्ष्मी (2015), "मानवाधिकार महिलाओं के लिए, मुद्दे और दृष्टिकोण", जयपुर, डी. एन. डी. प्रकाशन, पृ. 2
2. बिस्वाल तपन (2006), "मानव अधिकार लिंग और पर्यावरण,'' नई दिल्ली, विवा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, पृ. 126
3. धारा 2 (एच) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
4. समीउद्दीन आबिदा कादिर अब्दुल, खानम पी. (2013), "महिला राजनीतिक सशक्तिकरण बाधाओं और अवसरों," नई दिल्ली, ग्लोबल विजन पब्लिशिंग हाउस, पृ. 119
5. दक्षिण एशिया मानव अधिकार प्रलेखन केंद्र (2006), "मानव अधिकारों का परिचय" एक अवलोकन जिसमें लैंगिक न्याय, पर्यावरण और उपभोक्ता कानून के मुद्दे शामिल हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 173
6. कुमार मीन आलोक (2014), "ह्यूमन राइट्स इन इंडियाः कॉन्सेप्ट्स एंड कंसर्न," जयपुर (राज) इंडिया, पॉइंटर पब्लिशर्स, पृ. 9